उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-9

संख्या-27/2015/ पी-368 /अड़तीस-9-15-81(पीएमजीएसवाई)/13टी0सी0-5

लखनऊ : दिनांक- 31 मार्च, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के **अनुदान संख्या-83** के अन्तर्गत निम्नवत् तालिका के कालम-2 में अंकित लेखा शीर्षक के मानक मद में हो रही कुल बचत रू0 30,00,00,000.00 (रूपये तीस करोड़ मात्र), जिसका विवरण कालम-3 में है, को पुनर्ग्रहण हेतु वित्त विभाग को समर्पित किया जाता है:-

आयोजनागत पक्ष **(धनराशि हजार रूपये में)**

क्रं0सं0	**लेखा शीर्षक के विवरण**	**बचत/ समर्पित धनराशि**
1	**2**	**3**
	"5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-04-जिला तथा अन्य सड़कें-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-17-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-2 (के.75/रा.25-के+रा.)-24-बृहत निर्माण कार्य"	30,00,00
कुल योग-		30,00,00

ओम प्रकाश तिवारी
अनुसचिव।

वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2

संख्या- यू0ओ0-ई-2-365(8)/दस-2015 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि:- महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि क़पया उपर्युक्त धनराशि रू0 30,00,00,000.00 (रूपये तीस करोड़ मात्र) की बचत वित्त विभाग द्वारा पुनर्ग्रहण कर ली गयी है।

राम किशोर पाण्डेय
उप सचिव।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9

संख्या-27/2015/पी-368/(1)/अड़तीस-9-2015 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/3
2- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
3- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
6- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- गार्डबुक।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in